भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0-टी0 ए0 मिस वाद सं0- 177A/2017-18

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

रुही सरदार.............................आवेदक/विक्रेता

बनाम

दुलारी मुर्मू...............................क्रेता

दिनांक | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | अभ्युक्ति

20-02-2020

विक्रेता :- रुही सरदार पिता दीनबन्धु सरदार, ग्राम-बड़ाकांकी, थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड),जाति-भूमिज।

क्रेता :- दुलारी मुर्मू पति गुमदी मुर्मू, ग्राम-टांगरानी, थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 18.11.2017 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता दुलारी मुर्मू पति गुमदी मुर्मू, ग्राम-टांगरानी, थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: **भूमि का विवरण** ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
टांगरानी	राजनगर/53	16	229	42डी0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 997 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पिता के मृत्यु के पश्चात अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-3.77.50एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक थाना एवं जाति-'भूमिज' एवं 'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार................2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राजनगर ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2017 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर की अनुशंसा के आलोक में विक्रेता रही सरदार पिता दीनबन्धु सरदार, ग्राम-बड़ाकाकी, थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता दुलारी मुर्मू पति गुमदी मुर्मू, ग्राम-टामराली, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला- खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर रकबा-42डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

../02/2020
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।